भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3329
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

†3329. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए देश भर में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों की प्रगति और निधि के उपयोग की जांच करने के लिए उक्त क्षेत्रों में कोई अध्ययन/क्षेत्र सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों में उक्त सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग में अनियमितताओं/निधि के अपवर्तन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हों, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

जेजेएम में ग्रामीण परिवारों के कवरेज के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, जेजेएम के तहत निधि आवंटित करते समय, ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 10% भारांक महत्व दिया गया है, ताकि उनके कवरेज को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी बहुल गांवों के कवरेज को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत निधि के वार्षिक आबंटन का 22% और 10% अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत जारी की गई केंद्रीय निधि और उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति बहुल बसावटों में 215.65 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक 176.42 लाख (81.81%) से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों में 216.43 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक 162.71 लाख (75.18 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] एक केंद्र प्रायोजित योजना है और एसबीएम (जी) चरण-II राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) में अनुमानित मांगों और वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र के पास उपलब्ध बजट के आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में समेकित तरीके से निधियां आबंटित की जाती हैं। आबंटित निधियों में से 22% अनुसूचित जातियों की विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के लिए निर्धारित है और 10% अनुसूचित जनजातियों की विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए निर्धारित है। एसबीएम (जी) के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत केंद्रीय आवंटित निधि, जारी निधि और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एसबीएम (जी) चरण-II दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसबीएम (जी) के चरण-II के कार्यान्वयन का आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन (जी) के लिए पिछले 3 वर्षों में डीडीडब्ल्यूएस द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है, हालांकि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन और निधि उपयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों की खराब गुणवत्ता के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्रोतों जैसे मीडिया रिपोर्टों, स्वत: संज्ञान, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों, शिकायत पोर्टल आदि के संदर्भ से कुल 18,790 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 635 विभागीय अधिकारियों, 1,020 ठेकेदारों और 155 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्राप्त शिकायतों और अधिकारियों, ठेकेदारों तथा तृतीय पक्ष एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है**।** अनियमितताओं में संलिप्त विभागीय अधिकारियों पर निलंबन, विभागीय जांच, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आरोप-पत्र जारी करने सहित प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदारों के मामले में, की गई कार्रवाइयों में उन्हें काली सूची में डालना या काली सूची में डालने की सिफारिश करना, अनुबंधों को समाप्त करना, बयाना राशि जमा को जब्त करना और उल्लंघन के स्वरूप के आधार पर जुर्माना लगाना शामिल है। जहां तक टीपीआईए का संबंध है, संबंधित अधिकारियों को पैनल से हटा दिया गया है और अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा क्षतिपूर्ति शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा, जेजेएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी भी वित्तीय, प्रक्रियात्मक या गुणवत्ता संबंधी उल्लंघनों के प्रति जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने की बार-बार सलाह दी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मिशन की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रत्येक शिकायत की विधिवत जांच की जाए, क्षेत्र सत्यापन तुरंत किया जाए, तथा सभी आवश्यक अनुशासनात्मक, संविदात्मक और कानूनी कार्रवाई अपवाद रहित रहें।

इसके अलावा, विभाग ने जल आपूर्ति योजनाओं की निगरानी और जमीनी सत्यापन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें राज्य के अधिकारियों के माध्यम से योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण**,** जल अध्ययन सेवा और जल सेवा आकलन शामिल है, जिसका उद्देश्य जेजेएम के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और क्षेत्र सत्यापन सुनिश्चित करना है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3329 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जेजेएम: पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत केंद्र द्वारा जारी और किए गए उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

	डीएपीएससी के तहत राज्यों *(पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि सहित)* द्वारा जारी और उपयोग के रूप में रिपोर्ट की गई केंद्रीय निधि (राशि करोड़ रुपये में)								
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26* (10.03.2026 तक)**	
		केंद्र द्वारा जारी	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	35.54	203.09	321.53	30.00	207.87	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-
4	असम	350.00	0.01	394.66	739.99	156.90	161.81	-	-
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
6	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
7	गोवा	-	5.34	0.29	0.50	0.02	0.02	-	-
8	गुजरात	522.30	490.28	418.95	483.07	-	102.71	-	-
9	हरियाणा	143.71	185.10	151.99	180.68	-	2.24	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	504.76	525.51	140.23	349.35	48.94	46.94	-	-
11	जम्मू और कश्मीर	265.44	115.18	287.48	370.76	69.05	182.28	-	-
12	कर्नाटक	750.59	527.22	1,415.91	1,403.86	145.44	353.58	-	-
13	केरल	396.27	397.13	155.63	315.45	132.17	149.40	-	-
14	मध्य प्रदेश	687.10	1,272.10	1,242.67	1,493.86	564.93	567.56	-	-
15	महाराष्ट्र	731.82	486.49	943.28	1,311.63	198.09	269.61	-	-
16	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मणिपुर	-	-	-	0.64	-	-	-	-
18	मेघालय	-	-	6.55	6.32	4.15	4.35	-	1.73

	डीएपीएससी के तहत राज्यों *(पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि सहित)* द्वारा जारी और उपयोग के रूप में रिपोर्ट की गई केंद्रीय निधि (राशि करोड़ रुपये में)								
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26* (10.03.2026 तक)**	
		केंद्र द्वारा जारी	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी**	**केंद्रीय व्यय**
19	मिजोरम	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-
20	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ओडिशा	411.69	546.44	615.71	743.44	88.48	165.12	-	-
22	पुडुचेरी	-	0.39	0.26	1.36	1.27	1.25	-	-
23	पंजाब	-	121.18	53.56	44.87	21.67	28.82	-	-
24	राजस्थान	1,642.56	935.10	-	772.90	402.89	348.93	-	30.50
25	सिक्किम	-	0.76	8.65	10.08	16.88	16.58	-	0.30
26	तमिलनाडु	284.45	154.22	1,057.89	858.36	227.15	623.42	-	-
27	त्रिपुरा	-	0.95	116.78	105.37	51.25	65.49	-	-
28	उत्तर प्रदेश	3,170.25	3,366.09	5,000.51	5,890.50	1,781.49	1,921.15	-	-
29	पश्चिम बंगाल	1,080.64	974.56	1,594.56	1,724.55	853.63	1,016.43	-	-
30	छत्तीसगढ़	323.89	400.40	479.38	500.68	35.13	56.98	-	-
31	झारखंड	494.74	472.51	589.27	658.94	3.19	3.00	-	0.11
32	उत्तराखंड	339.78	451.68	522.63	612.08	159.95	219.97	-	-
33	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**12,100.00**	**11,464.19**	**15,400.00**	**18,900.85**	**4,992.68**	**6,515.51**	**-**	**32.64**

**2025-26 में अब तक किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है* *स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस*

	डीएपीएसटी के तहत राज्यों (*पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि सहित*) द्वारा जारी और उपयोग के रूप में सूचित की गई केंद्रीय निधि (राशि करोड़ रुपये में)								
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26* (10.03.2026 तक)	
		केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	18.90	47.20	54.89	24.35	22.68	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	117.63	223.85	273.25	60.77	55.44	-	-
4	असम	167.77	-	691.97	854.42	396.32	360.59	-	-
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
6	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
7	गोवा	-	-	1.28	1.88	0.07	0.17	-	-
8	गुजरात	709.88	664.69	316.77	379.41	-	2.26	-	-
9	हरियाणा	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	18.46	25.65	-	36.90	-	2.94	-	-
11	जम्मू और कश्मीर	218.47	177.91	321.62	388.86	116.48	168.63	-	-
12	कर्नाटक	232.43	265.07	290.07	445.93	31.83	31.63	-	-
13	केरल	39.94	49.17	10.97	18.48	15.06	16.13	-	-
14	मध्य प्रदेश	614.66	595.12	1,100.94	1,273.68	466.60	468.37	-	-
15	महाराष्ट्र	514.38	473.14	757.59	972.38	214.51	247.76	-	-
16	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मणिपुर	-	21.50	-	2.70	-	-	-	-
18	मेघालय	60.00	126.32	484.97	485.92	284.79	284.48	-	0.11
19	मिजोरम	-	-	95.80	90.14	12.58	15.89	-	-
20	नागालैंड	-	-	185.03	185.03	12.94	14.79	-	-
21	ओडिशा	419.79	647.67	364.29	491.02	61.22	115.11	-	-

	डीएपीएसटी के तहत राज्यों (*पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि सहित*) द्वारा जारी और उपयोग के रूप में सूचित की गई केंद्रीय निधि (राशि करोड़ रुपये में)								
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26* (10.03.2026 तक)	
		केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय	केंद्र द्वारा जारी	केंद्रीय व्यय
22	पुडुचेरी	-	-	-	0.75	-	-	-	-
23	पंजाब	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
24	राजस्थान	948.17	668.25	53.93	501.60	175.66	302.11	-	15.53
25	सिक्किम	-	-	71.10	69.70	16.92	18.54	-	-
26	तमिलनाडु	13.97	9.94	28.35	39.89	7.57	11.89	-	-
27	त्रिपुरा	-	1.94	250.09	253.82	112.55	124.67	-	-
28	उत्तर प्रदेश	118.39	107.50	76.23	112.88	24.62	28.49	-	-
29	पश्चिम बंगाल	266.35	137.10	182.18	305.89	115.96	120.80	-	-
30	छत्तीसगढ़	800.33	761.12	823.05	828.70	48.37	98.83	-	-
31	झारखंड	527.90	507.41	578.16	624.82	53.80	42.04	-	4.31
32	उत्तराखंड	42.38	65.60	44.55	93.28	16.42	27.50	-	-
33	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-
34	लद्दाख	-	38.68	-	16.05	-	-	-	-
	कुल	**5,713.28**	**5,480.30**	**7,000.00**	**8,802.28**	**2,269.40**	**2,581.74**	**-**	**19.95**

**2025-26 में अब तक किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।*

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3329 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एसबीएम (जी) के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार केंद्रीय हिस्सा आवंटित, जारी और व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन केंद्र	निधि स्वीकृत/जारी	केंद्रीय व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.37	0.28	1.44
2	आंध्र प्रदेश	676.79	147.03	274.13
3	अरुणाचल प्रदेश	29.43	14.72	7.87
4	असम	495.71	214.45	253.94
5	बिहार	1,544.86	711.49	639.88
6	छत्तीसगढ़	355.07	177.54	133.30
7	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	1.63	0.00	0.98
8	गोवा	34.38	25.19	19.01
9	गुजरात	284.68	53.63	102.14
10	हरियाणा	202.77	0.00	38.84
11	हिमाचल प्रदेश	198.07	38.28	64.79
12	जम्मू और कश्मीर	494.20	116.79	132.33
13	झारखंड	300.64	70.03	130.51
14	कर्नाटक	665.34	155.84	148.74
15	केरल	308.04	74.00	16.11
16	लद्दाख	17.30	1.28	2.12
17	लक्षद्वीप	7.74	1.94	0.02
18	मध्य प्रदेश	411.14	184.56	320.02
19	महाराष्ट्र	1,740.11	0.00	155.00
20	मणिपुर	51.45	12.86	12.02
21	मेघालय	92.13	16.57	36.68
22	मिजोरम	19.67	9.84	9.52
23	नागालैंड	39.44	19.72	14.41
24	ओडिशा	0	0.00	255.26
25	पुडुचेरी	37.80	0.00	12.96
26	पंजाब	168.19	42.05	74.12
27	राजस्थान	624.90	288.78	290.84
28	सिक्किम	23.17	5.79	4.25
29	तमिलनाडु	421.10	78.47	144.28
30	तेलंगाना	542.94	0.00	0.00
31	त्रिपुरा	128.29	28.28	22.73
32	उत्तर प्रदेश	1,529.38	910.23	873.19
33	उत्तराखंड	92.61	37.29	27.97
34	पश्चिम बंगाल	848.16	406.01	427.24
कुल		**12,388.50**	**3,842.94**	**4,646.64**

वित्त वर्ष 2023-24

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन केंद्र	निधि स्वीकृत/जारी	केंद्रीय व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.75	1.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	66.83
3	अरुणाचल प्रदेश	15.81	15.81	23.58
4	असम	417.77	389.77	336.22
5	बिहार	700.00	700.00	739.61
6	छत्तीसगढ़	83.98	83.98	100.52
7	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	0.00	0.00	7.47
8	गोवा	19.61	19.61	18.58
9	गुजरात	109.61	109.61	158.58
10	हरियाणा	0.00	0.00	66.76
11	हिमाचल प्रदेश	42.00	42.00	48.97
12	जम्मू और कश्मीर	251.00	241.33	251.36
13	झारखंड	50.00	50.00	260.13
14	कर्नाटक	46.00	42.34	73.60
15	केरल	0.00	0.00	31.43
16	लद्दाख	8.00	5.75	5.52
17	लक्षद्वीप	1.00	0.00	0.57
18	मध्य प्रदेश	113.39	113.39	175.82
19	महाराष्ट्र	110.45	110.45	375.36
20	मणिपुर	5.10	0.00	1.96
21	मेघालय	41.51	20.81	27.23
22	मिजोरम	4.99	4.99	8.71
23	नागालैंड	31.07	31.07	31.07
24	ओडिशा	47.00	46.52	189.61
25	पुडुचेरी	0.00	0.00	2.71
26	पंजाब	54.81	54.81	49.32
27	राजस्थान	70.00	69.43	132.21
28	सिक्किम	8.88	6.66	8.33
29	तमिलनाडु	239.74	239.74	222.20
30	तेलंगाना	25.00	14.18	21.31
31	त्रिपुरा	71.58	35.79	47.74
32	उत्तर प्रदेश	2519.62	2506.78	1970.31
33	उत्तराखंड	63.75	63.75	38.18
34	पश्चिम बंगाल	720.00	720.00	592.88
कुल		**5,872.67**	**5,739.32**	**6,085.68**

वित्तीय वर्ष 2024-25

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन केंद्र	निधि स्वीकृत/जारी	केंद्रीय व्यय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.39	1.60	0.48
2	आंध्र प्रदेश	270.16	75.52	146.07
3	अरुणाचल प्रदेश	14.82	7.41	9.76
4	असम	356.15	105.21	135.72
5	बिहार	475.73	166.51	624.42
6	छत्तीसगढ़	182.10	0.00	84.52
7	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	0.71	0.00	0.74
8	गोवा	14.32	9.70	14.11
9	गुजरात	200.00	151.40	187.12
10	हरियाणा	100.00	25.11	23.42
11	हिमाचल प्रदेश	44.17	28.65	53.92
12	जम्मू और कश्मीर	245.00	185.00	188.44
13	झारखंड	107.85	0.00	36.00
14	कर्नाटक	200.00	95.27	95.27
15	केरल	50.00	11.67	38.14
16	लद्दाख	10.20	2.55	1.66
17	लक्षद्वीप	2.70	0.00	0.23
18	मध्य प्रदेश	242.10	121.05	144.62
19	महाराष्ट्र	463.26	189.14	197.53
20	मणिपुर	2.00	0.00	11.63
21	मेघालय	107.64	0.00	13.26
22	मिजोरम	17.68	8.83	9.92
23	नागालैंड	27.59	20.69	21.37
24	ओडिशा	200.00	111.26	111.26
25	पुडुचेरी	5.00	0.00	0.15
26	पंजाब	92.48	41.30	70.76
27	राजस्थान	230.00	98.18	101.89
28	सिक्किम	14.79	7.61	7.18
29	तमिलनाडु	300.00	99.56	195.05
30	तेलंगाना	164.07	9.56	12.80
31	त्रिपुरा	75.22	21.78	38.65
32	उत्तर प्रदेश	1,309.40	785.64	1,648.79
33	उत्तराखंड	48.68	8.89	44.09
34	पश्चिम बंगाल	475.51	150.47	505.50
कुल		**6,055.72**	**2,539.56**	**4,774.47**

*पीएफएमएस पर रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, यूसी और एएसए जमा करने के बाद अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3329 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

03.03.2026 तक प्राप्त शिकायतों और अधिकारियों, ठेकेदारों और तीसरे पक्ष की एजेंसियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शिकायतों की कुल संख्या**	**विभाग के अधिकारियों की संख्या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है**	**जिन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनकी संख्या**	**टीपीआईए की संख्या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	1226	17	3	3
5	बिहार	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	329	2	11	1
7	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0
9	गुजरात	1	12	112	0
10	हरियाणा	4	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	24	0	0	0
13	झारखंड	152	24	4	3
14	कर्नाटक	169	7	99	1
15	केरल	25	1	1	0
16	लद्दाख	1	1	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	37	151	9	0
19	महाराष्ट्र	154	1	5	0
20	मणिपुर	19	4	39	0
21	मेघालय	8	3	0	0
22	मिजोरम	1	0	0	0
23	नागालैंड	14	6	0	0
24	ओडिशा	4	0	1	0
25	पुडुचेरी	0	0	0	0
26	पंजाब	6	0	0	0
27	राजस्थान	176	170	53	2
28	सिक्किम	0	0	0	0
29	तमिलनाडु	45	5	2	0
30	तेलंगाना	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	1	0	388	0
32	उत्तर प्रदेश	16178	196	120	145
33	उत्तराखंड	40	35	0	0
34	पश्चिम बंगाल	173	0	173	0
	कुल	**18,790**	**635**	**1,020**	**155**